



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 383 राँची, मंगलवार,

18 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-496/2014 का०-2914-- श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-834/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-368, दिनांक 26.03.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री रंजन के विरुद्ध खदान संचालकों के वाहनों के निबंधन कार्य में लापरवाही, जिसके कारण परिवहन टैक्स की चोरी एवं राजस्व क्षति का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-6308 दिनांक 25.07.2015 के द्वारा श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-230, दिनांक 08.05.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री रंजन के बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-287, दिनांक 12.01.2016 द्वारा “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया गया। श्री रंजन द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8017,

दिनांक 16.09.2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित निन्दन का दण्ड यथावत् रखा गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री रंजन द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका सं०- W.P.(S) No.3915/2019 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 28.05.2020 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है-

"From the aforesaid discussions and from perusal of documents and by carefully examining the rival submission of the parties and from perusal of entire records, I hold that the enquiry conducted against the petitioner was improper and in violation of the principles of natural justice. Since petitioner has already been considered for promotion but a sealed cover procedure has been adopted, I hereby direct the respondents to open the seal cover and consider case of the petitioner for promotion, if he is otherwise found eligible and there be no other legal impediment, within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

As a sequel of the aforesaid rules, guidelines, legal proposition and judicial pronouncement, I hereby quash and set aside the impugned order of punishment of Censure issued vide Memo No-287 dated 12.01.2016 as also the appellate order issued vide Memo No-8017 dated 16.09.2016 and further direct the respondents to pay admissible consequential benefits to the petitioner on being found eligible etc., in accordance with law.

This writ petition is accordingly allowed with aforesaid order and direction."

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा रिट याचिका सं० W.P.(S) No. 3915/2019 में दिनांक 28.05.2020 को पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री प्रेम रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-834/03) के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-287, दिनांक 12.01.2016 द्वारा निर्गत दण्डादेश तथा विभागीय संकल्प सं०-8017, दिनांक 16.09.2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश को रद्द किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
